



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012026-269571
CG-DL-E-24012026-269571

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 2026/माघ 1, 1947

No. 297]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 2026/MAGHA 1, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2026

का.आ. 325(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि बिहार राज्य के भागलपुर जिले में NH31 के कि.मी. 309.5 से कि.मी.351.7 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक

पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार राज्य के भागलपुर जिले में NH31 के कि.मी. 309.5 से कि.मी.351.7 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: बिहार			जिले का नाम: भागलपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: नारायणपुर					
गांव का नाम: दयालपुर					
1	1393	निजी	आवासीय	2.2815 (हेक्टेयर)	2.2815
2	1394	निजी	आवासीय	0.1013 (हेक्टेयर)	0.1013
3	1395	निजी	आवासीय	0.4092 (हेक्टेयर)	0.4092
4	2093	निजी	आवासीय	0.2438 (हेक्टेयर)	0.2438
5	2094	निजी	आवासीय	0.0004 (हेक्टेयर)	0.0004
6	2098	निजी	आवासीय	0.0296 (हेक्टेयर)	0.0296
7	2116	निजी	आवासीय	0.1204 (हेक्टेयर)	0.1204
8	2123	निजी	आवासीय	0.1002 (हेक्टेयर)	0.1002
9	2124	निजी	आवासीय	0.1302 (हेक्टेयर)	0.1302
10	2125	निजी	आवासीय	0.223 (हेक्टेयर)	0.223
11	2137	निजी	आवासीय	0.0002 (हेक्टेयर)	0.0002
12	2138	निजी	आवासीय	0.0229 (हेक्टेयर)	0.0229
13	2139	निजी	आवासीय	0.2554 (हेक्टेयर)	0.2554
14	2140	निजी	आवासीय	0.3187 (हेक्टेयर)	0.3187

15	2141	निजी	आवासीय	0.4311 (हेक्टेयर)	0.4311
16	2142	निजी	आवासीय	0.0667 (हेक्टेयर)	0.0667
Total					4.7346

[फा. सं. NHAI/12010/09/BGS/2010/Tech/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2026

S.O. 325(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH31 in the stretch of land from Km. 309.5 to Km. 351.7 in the district of BHAGALPUR in the state of BIHAR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Land Acquisition Officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH31 in the stretch of land from Km. 309.5 to Km. 351.7 in the district of BHAGALPUR in the state of BIHAR

State: BIHAR			District: BHAGALPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Narayanpur					
Village: Dayalpur					
1	1393	Private	Residential	2.2815 (Hectare)	2.2815
2	1394	Private	Residential	0.1013 (Hectare)	0.1013
3	1395	Private	Residential	0.4092 (Hectare)	0.4092
4	2093	Private	Residential	0.2438 (Hectare)	0.2438
5	2094	Private	Residential	0.0004 (Hectare)	0.0004
6	2098	Private	Residential	0.0296 (Hectare)	0.0296
7	2116	Private	Residential	0.1204 (Hectare)	0.1204
8	2123	Private	Residential	0.1002 (Hectare)	0.1002
9	2124	Private	Residential	0.1302 (Hectare)	0.1302

10	2125	Private	Residential	0.223 (Hectare)	0.223
11	2137	Private	Residential	0.0002 (Hectare)	0.0002
12	2138	Private	Residential	0.0229 (Hectare)	0.0229
13	2139	Private	Residential	0.2554 (Hectare)	0.2554
14	2140	Private	Residential	0.3187 (Hectare)	0.3187
15	2141	Private	Residential	0.4311 (Hectare)	0.4311
16	2142	Private	Residential	0.0667 (Hectare)	0.0667
Total					4.7346

[F. No. NHAI/12010/09/BGS/2010/Tech/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director